

एफ.डी.नं.डी.टी.० (एफ.०) I

संचिका संख्या—

अनुदान संख्या—

विभाग का नाम—

\*र-योजना/योजना—

\*केन्द्रीय योजनागत योजना—

\*केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना—

वित्त विभाग का अनुसूची क्रमांक.....

(यह क्रमांक शीर्षवार होगा)

अनुपूरक सहायक द्वारा भरा जाएगा।

## \*मतदेय/प्रभृत

200 -0 के लिए राजस्व पर व्यय के ..... अनुपूरक आगणन के विवरण

शीर्ष (मद) जिनके अन्तर्गत अनुदान नियोजन लेखा होगा।	चरम परिष्कय		आय-व्ययक	वर्तमान घनराशि	संगोषित अनुमान	अनुपूरक आगणन	अभ्युक्ति
	आवर्तक	अनावर्तक					
1	2	3	4	5	6	7	8
*नई योजना। *पुरानी योजना- मुख्य शीर्ष- उप-मुख्य शीर्ष- सबु शीर्ष- उप-शीर्ष- इकाइयां—	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	

नोट— \*जो लागू नहीं हों उन्हें काट दें।

(2) अपूर्ण/अपूर्ण अनुसूची की स्थिति में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

वि०सं०मु०(वित्त) 18-मो०जी०-5,000-27\*10-2004-

नियंत्रण पदाधिकारी का हस्ताक्षर